भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
13.08.2015 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2721.

परमाणु संरक्षा के संबंध में शंका

2721. **श्रीमती शशिकला पुष्पा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार को भारत में परमाणु सुरक्षा संबंधी आशंकाओं की जानकारी है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ख) **क्या विशेषज्ञों की यह राय है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में रिएक्टरों के अपरीक्षित डिज़ाइनों का उपयोग किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और**

(ग) **सरकार द्वारा लोगों की रक्षा हेतु और संयंत्रों में परीक्षित उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) **जी, हाँ। जनता के कुछ वर्गों में, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा के बारे में, तथा जीविकोपार्जन के परंपरागत साधनों, यथा मत्स्य-पालन एवं कृषि की हानि होने के संबंध में आशंकाएं हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा आयोजित पब्लिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से इन आशंकाओं का समाधान किया जा रहा है।**

(ख) **जी, नहीं। हालांकि, कुछ व्यक्तियों द्वारा, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के, प्रेस में इस प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त किया गया है।**

(ग) **नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के स्थल निर्धारण, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग तथा प्रचालन सभी चरणों में संरक्षा पर अधिकतम ध्यान दिया जाता है। रिएक्टर के लिए बहु-स्तरीय संरक्षा प्रावधान किए गए हैं तथा स्वीकार्य सीमा से अधिक विकिरणसक्रिय पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए कई भौतिक अवरोधक लगाए गए हैं, जिससे कि कार्मिकों, जनता तथा पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा, देश में नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की स्थापना के प्रत्येक चरण में संरक्षा की गहन पुनरीक्षा की जाती है, और रिएक्टर की स्थापना तथा इसका प्रचालन चरण-वार अनुमति प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। संरक्षा मानक, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही निर्धारित किए गए हैं।**

* * * * * *